भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

Office Order No. 72 of 2024

Sub: Revision in Channel of Submission/Level of Disposal of cases-Increasing Efficiency in Decision Making in the Government.

Ref: Office Order No. 33 of 2018, 73 of 2022, 18 of 2023 & 16 of 2024

Attention is invited to above referred Office Orders (copies enclosed) on the above subject. It has been observed that extant instructions on channel of submission/level jumping are not being followed strictly leading to delay in decision making and unnecessary file movement.

1.1 The above has been viewed seriously by CRB & CEO. It is essential that the matter be given utmost attention and the instructions issued in this regard may be strictly adhered to.

2. Except in respect of submission of replies to Parliament questions, all Directorates (DGs, AMs, PEDs & EDs) may initiate necessary action for revising the channel of submission and ensure uploading of same on Railway Board's website (https://Indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang_0&id=0,1,304,366,523,2605) as per guidelines contained in Office Order no. 33 of 2018 and para 2 of O. O. No. 14 of 2022. Level of disposal/reporting of official are to be strictly adhered to as per aforesaid Office Order. Wherever required suitable delegation of power to lower functionaries to be made so as to ensure quick decision making and efficient file movement.

2.1 The same has been reiterated on several occasions and the last one being O.O.No.16 of 2024. However, it may be seen from the abovementioned website of Railway Board that majority of branches have not uploaded their revised channel of submission of cases despite repeated instructions. The Cabinet Secretary has also recently reiterated the need to increase efficiency in decision making by reviewing the levels of disposal and channels of submission. CRB & CEO has thus desired that this exercise for delayering be seriously carried out by all Branches and the entire process should be completed at the earliest.

3. Strict compliance is solicited by all concerned.

Aruna Nayar

(Aruna Nayar)
Secretary/Railway Board
Tele No. 011-23385227
Email: secyrb@rb.railnet.gov.in

No. 2024/O&M/22/1
New Delhi, Dated: 14.12.2024

CRB & CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS and Secy/RB
DG/Safety, DG/RPF, DG/RHS and DG/HR
All additional Members/PEDs
All EDs/JSs/IG

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R) & JDPG/MoSR(S)

भारत सरकार/GOVERNMENTOFINDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRYOFRAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYBOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 72

विषय: मामलों को प्रस्तुत करने/मामलों के निपटान के स्तर के चैनल में संशोधन - सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने हेतु।

संदर्भ: 2018 का कार्यालय आदेश सं. 33, 2022 का कार्यालय आदेश सं. 73, 2023 का कार्यालय आदेश सं. 18 एवं 2024 का कार्यालय आदेश सं. 16.

आपका ध्यान उक्त विषय पर उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय आदेशों (प्रतिलिपियां संलग्न) की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह देखा गया है कि मामलों को प्रस्तुत करने के चैनल/वरिष्ठों के पदानुक्रम को कम करने पर मौजूदा अनुदेशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप निर्णय लेने में विलंब होता है और अनावश्यक रूप से फाइल मूवमेंट होता है।

1.1 इसे अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा गंभीरता से लिया गया है। यह आवश्यक है कि मामले पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए और इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए।

2. संसदीय प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने के मामले को छोड़कर, सभी निदेशालय (महानिदेशक, अपर सदस्य, प्रधान कार्यापालक निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक) कृपया मामले को प्रस्तुत करने के संशोधित चैनल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और 2018 के कार्यालय आदेश संख्या 33 और 2022 के कार्यालय आदेश सं. 14 के पैरा 2 में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार इसे रेलवे बोर्ड की वेबसाइट (https://Indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang_0&id=0,1,304,366,523,2605) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार अधिकारियों के निपटान के स्तर/अधिकारियों के रिपोर्टिंग स्तर का कड़ाई से पालन किया जाए। जहां भी आवश्यक हो, अधीनस्थ अधिकारियों को उपयुक्त शक्तियों का प्रत्ययोजन किया जाए ताकि शीघ्र निर्णय लेना और कुशल फाइल मूवमेंट सुनिश्चित हो सके।

2.1 इसे कई बार दोहराया गया है और अंतिम बार 2024 के कार्यालय आदेश सं.16 के तहत दोहराया गया था। बहरहाल, रेलवे बोर्ड की उपर्युक्त वेबसाइट से यह देखा जा सकता है कि बार-बार अनुदेश दिए जाने के बावजूद अधिकांश शाखाओं ने फाइलों को प्रस्तुत करने के अपने संशोधित चैनल को अपलोड नहीं किया है। मंत्रिमंडल सचिव ने भी हाल ही में निपटान के स्तरों और प्रस्तुत करने के चैनलों की समीक्षा करके निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रकार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड ने वांछा की है कि स्तरों को कम करने के इस प्रक्रिया को सभी शाखाओं द्वारा गंभीरता से लिया जाए और समुची प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए।

3. कृपया सभी संबंधित इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अरुणा नायर

सं. 2024/ओएंडएम/22/1
दिनांक: 14.12.2024

(अरुणा नायर)
सचिव/रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-23385227
ईमेलः secyrb@rb.railnet.gov.in

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चलस्टॉक, और सचिव/रेलवे बोर्ड
महानिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक/मानव संसाधन
सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक
सभी कार्यपालक निदेशक/संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (आर) एवंसंयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (एस)